

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय-म0सं0-01, लेन नं0-06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून-248121

फोन सं0 0135-2975030

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांक-स-20/उ0पराचि0प0/157/2023/16854

दिनांक 26 फरवरी, 2024

सेवा में

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेज,

शमामपुर कांगड़ी, हरिद्वार।

विषय- उत्तराखण्ड राज्य में परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17 भाग-ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी/सरकारी पैरा-मेडिकल विश्वविद्यालय/संस्थान में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद कार्यालय के पत्रांक-स-20/उ0पराचि0प0/156/2023/16806 दिनांक 12 फरवरी, 2024 के क्रम में दिनांक 12.02.2024 को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

2- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या-99/XXVIII(6)23 दिनांक-08 अगस्त, 2023 द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति/अनुमति प्रदान की गई है:-

क्र0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेज, शमामपुर कांगड़ी, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0	30
		बी0पी0टी0	30

3- उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 02 पाठ्यक्रमों के वर्ष 2023-24 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के क्रम में इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई सस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु संस्थान को उक्त परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17(6)(आठ) के अन्तर्गत शिक्षण सत्र चलाने से पूर्व राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है, एवं संस्थान को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पत्र मिलने पर सम्बद्धता पत्र परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा सम्बद्धता पत्र जमा न कराये जाने की स्थिति में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2023-24 में दिया जा रहा मान्यता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा, एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।